प्रधान मंत्री
आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मिशन निदेशालय
सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.–सूडा(उ.प्र.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–100) लखनऊ–226010
website-www.sudaup.org
e-mail-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः–4001/03/29/HFA-DPR/PMC/2018–19 दिनांकः– 08 अक्टूबर, 2018

समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0परि0अधि0
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास विस्तार (BLC-E) घटक में लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबंध में।**

कृपया अभिकरण के पत्रांक--2449/03/29/एचएफए–डीपीआर/पीएमसी/2018–19 दिनांक 30 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा निर्देश दिये गये थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास विस्तार घटक में लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश के क्रम में लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में रू0 0.50 लाख की धनराशि केन्द्रांश से देय होगी।

कतिपय जनपदों के द्वारा यह पृच्छा की गई है कि द्वितीय एवं तृतीय किश्त किस प्रकार लाभार्थियों को दी जाये। इस क्रम में अवगत कराना है कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) (BLC-E) घटक में आवासों की स्वीकृत धनराशि आवासों के प्रकार पर निर्भर करती है, अतएव डीपीआर से आवास के प्रकार को दृष्टिगत् रखते हुए **तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत आवास की लागत का 20 प्रतिशत देय होगा तथा द्वितीय किश्त के रूप में कुल लागत में से प्रथम एवं तृतीय किश्त की धनराशि को घटाते के उपरान्त शेष धनराशि देय होगी। उदाहरण** के तौर पर यदि स्वीकृत डीपीआर के अनुसार किसी लाभार्थी के आवास में **एक कमरा + एक रसोई** बनाया जाना है, यदि उसकी स्वीकृत लागत **रू0 1.90 लाख** है, तो ऐसी स्थिति में **प्रथम किश्त रू0 0.50 लाख, तृतीय किश्त** रू0 1.90 लाख का 20 प्रतिशत, जो कि **रू0 0.38 लाख** बनता है, देय होगा एवं **द्वितीय किश्त** कुल लागत रू0 1.90 लाख में से प्रथम किश्त (रू0 0.50 लाख) एवं तृतीय किश्त (रू0 0.38 लाख) को घटाते हुए **रू0 1.02 लाख** देय होगी।

साथ ही यह भी उल्लिखित किया जाता है कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) (BLC-E) में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) (BLC-N) की भाँति ही सभी चरणों का जियो टैग यथावत् किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

8/10/18

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0।
2. समस्त डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा।

DPR-PMC/139